

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन मय मानचित्र

नोट- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्र संख्या 11-168 / 2009-एफ.सी. दिनांक 14.02.2012 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

—संलग्न है—

वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ
वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले 6.953 है 0 वन भूमि के दुगुने 13.906 है 0 में वनीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना। वर्ष 2017-18

- परियोजना का नाम- बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण।
- पौधारोपण स्थल का नाम- ग्रामतहसील जिला बागेश्वर
- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या -
- रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आवला, बहेड़, बांज, फल्गु, कवैराल, भीमल, रीठा आदि।

सिविल सोयम भूमि - क्षेत्रफल 13.906 है 0
13.906 x 1100 = 15297 पौधे

वर्ष 2017-18

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	13.906	97.00	1348.88
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	13.906	584.00	8121.10
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है 0 को आधार मानकर)	13.906	7750.00	107771.50
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है 0 84 घ0मी0 औसत	1168.10	315.00	367952.76
5	गड़ढा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	15297	7.83	112124.08
6	निरीक्षण बटिया	13.906	485.00	6744.41
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	15297	5.89	90096.97
8	ओजार तेज कराई		LS	400.00
1	1- प्रथम चरण का योग			694559.71
1	गड़ढा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	15297	1.15	17591.09
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष ।	15297	1.15	17591.09
3	पौध दुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि0मी0 सिरबोझ औसत पर)	15297	6.39	97745.27
4	पौधारोपण व थावलबंदी	15297	2.06	31511.00
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	15297	0.76	11625.42
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	15297	0.21	18.96
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है 0 पर)।	13.906	4768.00	66303.81
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	400.00	5562.40
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
11	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	13.906	LS	700.00
2	2- द्वितीय चरण का योग			259426.18
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है 0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	4310.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
3	3- तृतीय चरण का योग			114543.72
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है 0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	2543.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
4	4- चतुर्थ चरण का योग			112776.72
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है 0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	200.00	2781.20
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	150.00	2085.90
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	4310.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
5	5- पंचम चरण का योग			111414.87

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	4310.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
6	6- षष्ठम चरण का योग			114543.72
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	4310.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
7	7- सप्तम चरण का योग			114543.72
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	4310.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
8	8- अष्टम चरण का योग			114543.72
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	4310.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
9	9- नवम चरण का योग			114543.72
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	13.906	7152.00	99455.71
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	13.906	350.00	4867.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	13.906	225.00	3128.85
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	13.906	310.00	4310.86
	ब- प्रोत्साहन	13.906	200.00	2781.20
10	10- दशम चरण का योग			114543.72
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			1865439.82
	(अठारह लाख पैंसठ हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र)		अर्थात् रू०	1865440.00

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
जनार्थ वन क्षेत्र (पुरड़ा)

उपप्रमाणीय वनाधिकारी
उपप्रमाणीय वनाधिकारी
कृषि

प्रमाणीय वनाधिकारी
प्रमाणीय वनाधिकारी
कृषि